न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 41/2023 दायर दिनाँक 20.01.2023

वादी

1. विरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व. मदनसिंह जाति राजपूत निवासी चांदबासनी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. पूसाराम पुत्र सीताराम जाति माली निवासी भाटी बास डीडवाना तहसील डीडवाना
2. तहसीलदार डीडवाना
3. नगरपालिका मण्डल डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 88, 188 R.T.Act.,

उपस्थितः—

1. श्री अशोक भाकर वकील वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **10.03.2026**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है, वाके सरहद डीडवाना के खेत खसरा संख्या 2673 रकबा 0.1700 है. प्रतिवादी संख्या 1 की एकल खातेदारी की अवस्थित है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच आपसी जान पहचान है। दिनांक 23.12.2023.2 को प्रतिवादी संख्या 1 पूसाराम वादी के घर पर आया। वादी को धोका देने की नियत से कहा कि मेरे पास पैतृक भूमि खेत खसरा संख्या 2673 रकबा 0.1700 ग्राम डीडवाना में एकल खातेदारी की है। मुझे अभी रूपयों की सख्त आवश्यकता है। इसलिए मैं मेरी खातेदारी का खेत आपको बैचान करना चाहता हूं। जिससे वादी उक्त प्रतिवादी संख्या 1 की बातों पर विश्वास करके प्रतिवादी संख्या 1 के धोखे में आ गया और जरिये ईकरारनामा बैचान दिनांक 23.12.2022 के अनुसार उक्त वर्णित भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 से वादी ने खरीद कर लिया और उक्त वर्णित भूखण्ड की भूमि पर कब्जा मालिकाना वादी को सुपुर्द कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने रजिस्ट्री करवाने का इकरार किया। उसी दिन से उक्त भूमि पर वादी ने कब्जा प्राप्त कर लिया। जिस पर वादी आज भी काबिज है। जिसका कब्जा उपयोग उपभोग वादी का निरन्तर निर्बाध रूप से चला आ रहा है। वर्तमान समय में वादी प्रतिवादी संख्या 1 के घर पर गया तथा कहा कि उक्त इकरारनामा बैचान दिनांक 23.12.2022 के अनुसार अब उक्त खेत की पंजीकृत रजिस्ट्री करवा दो। क्योंकि आपको उक्त खेत की सम्पूर्ण रकम अदा कर दी है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को कहा कि उपरोक्त खेत मेरी खातेदारी का है और मेरा है में तुमसे रूपये हडपने के चक्कर में [illegible] लिखकर ईकरारनामा पर बैचाण किया था। जिस पर वादी ने प्रतिवादी को कहा [illegible] आपने मेरे साथ धोखा क्यों किया। तो प्रतिवादी ने वादी को अपमानित करने की [illegible] से गाली गलोच करने लग गया ओर वादी को कहा कि जो चाहे वो कर लो, [illegible] रजिस्ट्री नहीं करवाउंगा और उपरोक्त विकित भूमि पर वापिस कब्जा करूंगा। उक्त [illegible] भूमि पर वादी का कब्जा काश्त है तथा वादी के अलावा अन्य किसी का कब्जा काश्त नहीं है। दिनांक 23.

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:54:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

12.2022 को जरिये ईकरारनामा बैचान दिनांक 23.12.2022 के जरिये अपने नाम वादी से खातेदारी घोषित करवाने का अधिकारी है परन्तु वर्तमान समय में राजस्व रेकर्ड में खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण तथा प्रतिवादी संख्या 1 खातेदारी की आड में ऐलानियां धमकी देता है कि वादी को उसके द्वारा खरीदशुदा भूमि जरिये ईकरारनामा बैचान दिनांक 23.12.2022 की भूमि को बेदखल करने की धमकियां देता है तथा वादी को अधिकारों व हितों को चुनौती देने में लगा है येन केन प्रकारेण वादी की खरीदशुदा भूमि ईकरारनामा बैचान दिनांक 23.12.2022 की भूमि से वाद को महरूम रखना चाहता है। जिस हेतु वाद बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का श्रीमान के समक्ष पेश है।

प्रार्थना वादी की इस प्रकार है :–

शरहद डीडवाना के खेत खसरा संख्या 2673 रकबा 0.1700 बारानी–1 में वर्तमान खोतदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो वादी द्वारा दिनांक 23.12.2022 को जरिये ईकरारनामा बेचाण खरीद कर कब्जा कास्त में ली गई है को राजस्व रेकर्ड में खातेदारी घोषित की जावे तथा उपरोक्तानुसार डिक्री वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी पक्ष के विरूद्ध जारी करने की कृपा करावे तथा खेत खसरा संख्या 2673 रकबा 0.1700 से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटाया जावे। उक्त वर्णित भूमि में उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण व उनके प्रतिनिधि किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न तो स्वयं करें ना ही अन्य किसी से अपने आदमी एजेन्ट आदि से करावें तथा वादी को काश्त करने तथा स्वतंत्र उपयोग उपभोग में लेने पर किसी प्रकार की रोक टोक आदि नहीं करे तथा न ही अन्य किसी व्यक्ति से करावे। प्रतिवादी सेख्या 1 उपरोक्त भूमि में किसी भी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण न तो स्वयं करे तथा न ही अन्य किसी से करावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बावजूद सम्मन तामिली अनुपस्थित होने पर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 3 नगरपालिका की ओर से जवाब पेश हुआ। नगरपालिका ने अपने जवाब में कोई विशेष कथन नहीं किया। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

प्रकरण में निम्नानुसार तनकी कायम की गई।

1. **आया वाद पत्र अनुसार, वादी मौजा डीडवाना के खसरा संख्या 2673 रकबा 0.1700 है. की खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी है।**

–जिम्मे वादीगण

2. **आया वाद पत्र अनुसार, मौजा डीडवाना के खसरा संख्या 2673 रकबा 0.1700 है. भूमि में प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।**

–जिम्मे वादीगण

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने दौराने बहस वाद वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि उक्त वर्णित भूमि में वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से दिनांक 23.12.2022 को जरिये ईकरारनामा बेचाण खरीद कर कब्जा कास्त में ली गई है जिसकी खातेदारी वादी के नाम घोषित की जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटाया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया।वादी जरिये इकरारनामा दिनांक 23.12.202[illegible] वादी संख्या 1 [illegible] जिस पर प्रतिवादीगण के स्थान पर घातेदारी घोषित करवाने की इस्तदुआ क[illegible] है। द्वारा आपत्ति नहीं की। वादी अतः वाद[illegible] हस्तगत वाद [illegible] किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:54:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

–:आदेश :–

शरहद डीडवाना के खेत खसरा संख्या 2673 रकबा 0.1700 किस्म बारानी–1 में से इकरारनामा दिनांक 23.12.2022 के अनुसार 5527.02 वर्गफीट भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 पूसाराम पुत्र सीताराम कोम माली के स्थान पर वादी विरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व. मदनसिंह जाति राजपूत निवासी चांदबासनी तहसील डीडवाना नाम घोषित की जाती है तद्नुसार रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 10.03.2026 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:54:58 IST
Reason: SelfAttested